

6595 10/10/99

98050/2101748165 L545 1000Rs.



Handwritten notes and photographs related to a criminal case:

1. **Photographs:** Two black and white photographs of a person wearing a headscarf and a person in a light-colored shirt.

2. **Case Number:** **Murt Case No 684/060**

3. **Arrested Person:** दी कुमारी - १४ वर्ष । अपने समय परामर्श दिया।

4. **Handwriting Analysis:** A sample of handwriting with the label **CW 1317 ID**.

5. **Measurements:** Handwritten measurements in centimeters:

- 23
- 6.2
- 9.80
- 3.6
- 2.50
- 0.94

6. **Date:** 10/19/44

7. **Signature:** Handwritten signature at the bottom left.

8. **Text:** A large block of handwritten text on the right side, likely a report or transcription, starting with "संवाद में कहा गया कि वह एक बदमाश है" (In conversation, it was said that he is a bandit).

(1) लेखकारीगण का नाम सर्व पूरा पता:-

- 1- मोस्मार संजू कुंवर पति स्व० राजीव रंजन चौबे
 2- रवि रंजन चौबे पिता स्व० विश्वनाथ चौबे
 जाति ब्राह्मण, साकिन मोजा वो पोस्ट-केतात
 कल्ठी, धाना रेला, बंचल कार्यालय- वित्रामपुर,
 जिला पलामू, प्रैशा लैती, भारतीय- विक्रेतागण



-2-

(2) लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्री नागनाथ चौबे पिता स्व० बादित्य चौबे
जाति ब्राह्मण, साकिन मौजा वो पौस्ट-केतात
कलां, धाना रेहता, बंचल कार्यालय-वित्रामपुर,
जिला पठानु नेशा खेती, भारतीय--- क्रेता ।

(3) लेख्य प्रकार:- निर्विवाद विक्रय पत्र(केवल
बयल करापी)

(4) देय मूल्य- मो० ९८,०००-०० (वन्ठान्वे हजार)
रुपये मात्र।

निर्धारित न्यूनतम मूल्य - पौरुष 54,000-00
(वैद्यन हजार) रुपये मात्र

(5) सम्पत्ति का विवरण:-

मतांजी ०-०६-¹/₂ एकड़ (साढ़े छः डीसिल) जमीन बाखांसीय योग्य जिसमें दस फीट लम्बा एवं दस फीट चौड़ा पत्थर का नीबू दिया हुआ व उके मोजा ढंडिला कर्ता धाना रेहला, बंचल कार्यालय वित्रामपुर, जिला पलामू सब-रजिस्ट्री बोर्ड जिला रजिस्ट्री बोर्डिस मोकाम पेदिनीनगर, जिला पलामू



-3-

का हकीयत काश्त केवाला द्वारा सरीदगी जो
मोहम्मद तुम्रेल साँ पिता शमदूदीन साँ साकिन
डंडिला कलाँ के हाथ से लेख्यकारी न०- 1 के
दादा ससुर वो लेख्यकारी न०- 2 के दादा
मुनेश्वर चौबे पिता मर्ह चौबे मौजा केतात कलाँ
के नाम से दिनांक 8-2-1990 जिसका केवाला न०-
1711 बुक न०-1, भोलुम न०-12, पेज न०-365 से
368 केवाला त्यारी तारीख 9-1-1991 है वो
केवाला न०-1712 बुक न०-1, भोलुम न०-9, पेज
न०-284 से 287 केवाला त्यारी तारीख 9-1-1991
है। जिसका जमावन्दी पेज न०- 645/३ है जो
मुनेश्वर चौबे के नाम से डीमान्ड चल रहा है, जिसका
पार्ट होलिडंग विक्री करते हैं बापसी भाई बटवारे
के मुताबिक जपने हिस्से का।

घाना न०	तोजी न०	स्केट न०	हक्का न०	मौजा
39	155	— 1 —	7	डंडिला कला

13/10/2016

गोपनीय गवर्नर

इन्डियन प्रिंटिंग

संख्या ०३-०७-२००६

1000Rs.



-4-

लाता नं	प्लॉट नं	रकवा	चौहडी
-----	-----	र ०६१०	-----
5(पांच)	1076(दस सौ ००७६)	०-०६	३० नाला द० नीज क्रेता वो पी०सी०सी०रोड़
		2	प०० नीज क्रेता प० बालेश्वर चौबे का पकान।
-----	-----	6x2	-----
एक	एक	1/2 डी० जमीन विक्री करते हैं।	-----

सालाना मालगुजारी:- प्र० १-०० (एक रुपया)
क्लावे सेस।

नाम मालिक - कारखण्ड सरकार द्वारा बंचलाइकारी,
वित्तामपुर, जिला पटाखा।

विदित हो कि इन संख्या- 5 की जमीन
लेखकारीगण को बजरीय क्षेत्र द्वारा तरीकी हासिल
है, जिसका विवरण इन संख्या- 5 में बंकित है।
जो बाबर से जोत कोड़, कब्जा दल्लू में चला था रहा
है वो डीमान्ड पी चल रहा है।

क्रमी रजिस्ट्रेशन नं. १५०७-२००६

-5-

वाजे रहे कि जमीन का मूल्य मो० 54,000-00
रुपया वो उसमें दिया हुआ पत्थर के नीचे दस फीट
लम्बा तथा दस फीट चौड़ा का मूल्य मो० 44,000-00
रुपया है।

विदित हो कि उपरोक्त सम्पति जिसका व्यवरा
लाना संस्था-5 में दी गई है, लेखकारियों की मौरुणी
सम्पति है जो लेखकारियों के, लेखकारी न०-१ के दादा
समुर तथा लेखकारी न०-२ के दादा स्व० मुनेश्वर चौबे के
नाम से क्र्य की गई थी, जिसका केवाला न०- 1711 एवं
1712 दिनांक 8-2-1990 है। हरीदगी के बाद लेखकारियों
के पितामह स्व० मुनेश्वर चौबे उक्त जमीन के शान्ति पूर्ण
दस्त कब्जे में बाये तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी
के रूप में लेखकारियों का शान्तिपूर्ण दस्त कब्जा चला
वा रहा है।

विदित हो कि लेखकारी संस्था-2 रवि रंजन चौबे
के दूसरे भाई ग्रन्डर्स रंजन चौबे हैं जो बाहर में नौकरी
करते हैं और उन्होंने भी इस जमीन की विक्री का सोदा
तम होने में बपनी सम्मति प्रदान की है और उन्हें इस विक्र्य
सम्पति के विक्र्य में किसी प्रकार का कोई बापति नहीं है।
यह लेखकारियों एवं उपरोक्त रजनी रंजन चौबे में त्य है
हे जरसम्मन का पैसा बनुपात्रिक रूप में उन्हें प्राप्त हो
जायेगा या किर वे इस सम्पति के बदले दूसरी मौरुणी
सम्पति में बनुपात्रिक दाखा बंतिर रूप से बटवारा के सम्य
करें। यह भी विदित हो कि विक्र्य मूलि पर शान्ति पूर्ण
दस्त कब्जा इस विक्र्य पत्र के सम्पादन के पूर्व ही लेखधारी
को दस्त कब्जा दी जा चुकी है, जिसमें रजनी रंजन चौबे
को कोई बापति नहीं हुई है।

लेखकारीगण जरसम्मन का पूरा पैसा प्राप्त कर लिया
हे तबुतार लेखधारी के पक्षा में यह विक्र्य पत्र त्यार करा
कर विक्र्य मूलि की विक्री एवं हस्तांतरण किया। साथ ही

-6-

लेख्यधारी को विक्र्य मूमि पर पहले से दिये गये कब्जे को
लेख्यकारीगण बाज इस विक्री एवं हस्तांतरण के समय
स्वीकार कर उक्त दखल कब्जे को संपुष्ट करते हैं। विक्र्य¹
मूमि पर लेख्यकारियों का बाज तक जो भी स्वत्व विकार
एवं दखल कब्जा विक्र्य मूमि पर धा इस विक्री के बाद
लेख्यधारी को वे सभी स्वत्व विकार एवं दखल कब्जा
प्राप्त हो गया। जरस्मन का पूर्ण भुगतान लेख्यकारियों
को हो चुका है, जरस्मन का एक भी पैसा बकाया नहीं रहा।

विदित हो कि लेख्यकारियों को बनाने मकान एवं
पढ़ाई लिखाई के लंबे जो बैघ बाष्पश्यकता है के लिए पौटी
रक्म की बाष्पश्यकता हुई और लेख्यकारियों द्वारा इस रक्म
की व्यवस्था किसी बन्ध त्रोत से होना सम्भव नहीं धा
बतः इस विक्री के प्रस्ताव पर सब से विक्रि मूल्य लेख्यधारी
देने को तैयार हुए। चूंकि यह विक्र्य मूमि लेख्यधारी के
लहाव में होने के कारण भी वे लोग बन्ध लोगों से विक्रि
मूल्य देने को त्सार हुए इस पर विक्री का सोडा त्यकर
बाज यह विक्री एवं हस्तांतरण किया गया।

बब चाहिये कि लेख्यधारी साना संख्या-5 की
जमीन पर जोत कोड़ करें, पर मकान बनावे वो नाम
पाठिक फारखपठ सरकार, द्वारा बंचलाभिकारी, विवामपुर के
कार्यालय में मेरे बजाये बपना नाम मुद्रण कराकर सालाना
उगान बदा कर रसीद हासिल किया करें। इसमें में या
मेरे कोई वारिसान कायम प्रोकारियान एक बाद दिगरे
को उजुर नहीं है और न भविष्य में होगा।

इस लिए इन सभी बातों को मलि-भाँति समझ बुफ्फ
कर बपने मन शरीर के पूर्ण स्वस्थता में रहते हुए बगेर किसी
के बहकावे या दबाव में नहीं बाकर बपने हानि-लाम को
देखते हुए बपने होश वो खाश में रहते हुए यह निर्धिवाद
विक्र्य केवल बछलाकलामी हाजा लिख दिया कि समय
पर काम बाखे वो प्रमाण रहे।

-7-

प्रमाणित किया जाता है कि केवला की दोनों प्रत्याँ
एक दूसरे का हूँ-ब-हु नक्ल है।

वाज दिनांक 13 वीं जुलाई, 2006 ई०

टक्क:-

नसीर उज्जमां
कचहरी परिसर,
मेदिनीनगर, पलामू



४. गोपनीय
१३.७.०६



प्रमाणित किया जाता है कि चापेका
अकिञ्जित कांडों के चलाक्षण के
लाई के बाए इनकी छोड़ा गयी
के स्थान वे अस्ति लिए गए हैं
छो. शो. सलीम गोदार लो. ब०९५५५५
फारिय - शो. सलीम गोदार लो. ब०९५५५५
जलस्तरिंग जलस्तरिंग का मज़बूत
पढ़ कर दोनों पश्चां का उनादा
स्थान परिषिक्त किया -
दोनों राशियों पर चुनाई २००६ ई०

प्रमाणित किया जाता है कि चापेका
अकिञ्जित कांडों के चलाक्षण के
लाई के बाए इनकी छोड़ा गयी
के स्थान वे अस्ति लिए गए हैं
छो. शो. सलीम गोदार लो. ब०९५५५५
फारिय - शो. सलीम गोदार लो. ब०९५५५५
जलस्तरिंग जलस्तरिंग का मज़बूत
पढ़ कर दोनों पश्चां का उनादा
स्थान परिषिक्त किया -
दोनों राशियों पर चुनाई २००६ ई०

Sch. XIV.—F. No. 180

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल-नाम, मौजा। भेद

यामा वा थाता नम्बर

फरद मालका कलाया ३९३८०५५२

नाम ऐत मध्य विधि यत जमावन्दा

वो संतुष्ट नम्बर

पिंडमध्य ३५००

अराजी नकदी ३१३१ अराजी भावनी

०.०६२३० वराच ५ के २१५८०

जोत वा मालाचा माप वरपरीता सकाया द्वा हाला) आजदा माल का विवर

माप ववद	संख्या	तापदण्डी संख्या	वेग ववद	वेगप	तापावण
माल- गुजारी संस	(नकदी) (भावनी)	०.१८	०.१	०.०५	०.०५
*मूलफक्ता ता. मीजान	०.६५४/८५५	०.५५	०.५५	०.०५	०.०५
		०.५५	०.५५	०.०५	०.०५
		०.५५	०.५५	०.०५	०.०५

तपसील अदायकता

उपायकारी ववद	संख्या	तापावण
माल- गुजारी संस	(नकदी) (भावनी)	०.००
*मूलफक्ता ता. मीजान अदायकता	०.००	०.००
		०.००
		०.००


(१) मीजान कुल (तपज्ञो में)

(२) नाम देहिना—

(३) कुल बकाया—

*खास सहायी का बकाया मालगुजारी पर (सवाय एवं बकाया भावनी पर किसी सार्विकी नहीं) संतुष्ट लिया जाता है।

SPL-2002




मध्याह्न रेंज का ग्राम डोला रुदी

प्राचीन लिखित पुस्तक - 39

डोला - ५३२

भूमाला का विस्तृत १६" इक्के
बराष्टर । जल

लाल द्वारा भूमाला का विस्तृत १६" इक्के
डोला - ५३२



**FORM-XII
AFFIDAVIT**



(This Certificate Adhere Jharkhand Building Bye-L

Nagnath Choubey
S/o Late Aditya Choubey
Dwaria Kisan Rethia
I.....S/O, W/Oby faith.....resident of.....do hereby solemnly affirm and declare that the statements made herein below are true to the best knowledge and belief.

1. That I am owner / power of attorney holder of land having R.S./ M.S. Plot no..... 1076Katha no..... 05corresponding to holding no.....
....., Khewat no....., Thana No.....
.....word no..... 09of the name of authority.....
.....measuring area of 6.51d..... situated at village/ mouza..... Dwaria Kisan
P.S. Rethianame of the place
2. The Land Mentioned above is a freehold property and does not belong to khas mahal Estate of government. It is not either Gair Mazarua Aam Khas, Kaisare Hind, District Board or Acquired land.
3. That the land stated above is tribal land / not a tribal land for tribal land Permission for transfer has been obtained vide case no.....
.....Year.....from SAR/DC/Commissioner court
4. That Further declare that in future, if it will be found that property mentioned above gair Mazarua Aam Khas, kaisare Hind, District Board or Acquired land Property of Government the sanctioned map will be deemed to be cancelled due to misrepresentation and suppression of facts.

Sworn & Signed this affidavit on this..... day of20.....at the name of place



NOTARY


DALTONGANJ
PAI AMU

Identified by (Name/Identifier):
Name of Advocate:
Sign and Seal of Advocate

Name of Place:


Nagnath Choubey
Authorized Signatory
(Name of Deponent)





सर्वोच्च न्यायालय (SUPREME COURT) (AFFIDAVIT)

Book No. XIII - 914
Date 07-02-2023



Signature

NOTARY

DALTONGANJ
PALAMU

Signature
Date: 07-02-23

X

प्रमाण- 18 6035

पलामू जिला अधिवक्ता संघ, डालटनगंज



प्रमाण- 18
प्रमाण- 18

प्रमाण- 18
प्रमाण- 18

प्रमाण- 18
प्रमाण- 18

FORM-XIII

INDEMNITY BOND FOR BASEMENT

INDEMNITY BOND (This Certificate Adheres to Jharkhand Building Bye-Laws 2016)

The indemnity Bond is executed by Shri/ Smt. Magnak Chowdary S.O. D.O. W.C. Smt. Srujan Reddy R.O. Dandagaon, Kolar, Biharanchal Smt.

in favour of Authority.

Whereas the Executant has submitted to the concerned Authority the plans for sanction of basement over Plot No(CS).....*1026*.....
Plot No.....*1026*.....

No(MSP)..... khata No..... 05..... Holding No. 00940000288888

Word No. ① 9 of Ahmedpur Municipal Corporation Municipal Council Nagar Panchayats Municipality Unified Area Village/ Mohana.....

Committee/Regional Development Authority/Industrial Area Development Authorities/Mineral Area Development Authority. Gram Panchayat are covered under the Jharkhand plan or planning scheme notified under Jharkhand Municipal Act 2011, Jharkhand Regional Development Authority Act 2002, Mineral Area Development Authority Act 2002, Jharkhand Industrial Area Development Authority Act within the development plan area..... Under the provisions of the building Bye laws made there under whereas the concerned Authority has agreed to sanction the aforesaid construction subject to the conditions that the Owner shall indemnify the concerned Authority in the event of any loss or damage being cause to the adjoining building on account of the construction of the said building as the time of digging of its foundations or in the course of its construction or even thereafter and also against any claim of any concern there to.

And whereas the executant has agreed to execute an indemnity bond to the above affect and also to abide by the terms required by the authority the grant of sanction for construction of the passenger concerned.....

Now the dead witness;

1. That in consideration of the sanction of the plans by.....
construction of the basement the executant undertakes that he/she shall at all times keep

Authority free from any liability, loss or damages/ flowing from any injury or damage caused to the adjoining built up properties or to any person as a consequence of the construction of at the time of digging of its foundations or during the course of its construction or at any time thereafter.

2. The owner agreed and undertakes that in the event of any claim being made by any person or persons against the concerned Authority either in respect of the sanction granted by the concerned Authority to the owner for the construction of basement or in respect of the construction or manner of construction of the basement by the owner of the consequences flowing from the said sanction the executant shall be responsible and liable and not Authority.
3. The executant agrees and undertake to indemnify the concerned Authority fully in respect of any amount which the concerned Authority may be required to pay to any person either by way of compensation or on any other account as a result of any claim or suit or any other proceedings concerning the sanctioning of the construction of the basement of the making thereof and also in respect of the costs and expenses which the concerned Authority may incur on defending any action.
4. Without prejudice to the above undertaking the executant hereby binds itself to pay to Authority to the full extent any amount which Authority may be required to pay to any person in connection with relating to or concerning the sanctioning or the basement of the making thereof.
5. The owner agrees and undertakes that this bond shall remain in full force and effect till the executant faithfully observes performs the undertaking here in before contained. In witness where of the executant above named has signed this bond on this of at..... day.

Witness:2	Witness:2	Authorised Signatory
Monoj Dey (Signature)	Karishma Chakrabarty (Signature)	Nagarkarkar
(Name of Witness 1)	(Name of witness 2)	Authorised Signatory
Address: 9/3-A, Paharpur, Dehradoon	Address: 15, Kharat	Name of Authorised Signatory
.....	Registration No.
.....	Vaccine No.
.....	Address: